

Sh. M.C. Khawaja / J.P. Sharma

FORM-II  
(for projects other than linear projects)  
Government of H.P.  
Office of the District Collector

\*\*\*\*

1550  
26/9/2016  
26/09/2016  
Sey.

No. SML-SR(57)/2016- 1080

Dated: 26-9-2016


TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-98-77 hect. of forest land proposed to be diverted in favour of the Secretary, APMC, Dhalli, Shimla-171012 for construction of Subzi Mandi at Mehandali Tehsil Rohru District Shimla (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Rohru Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-98-77 hect. of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any being understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha is enclosed as annexure 1 to the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present. the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA

Encl: As above

  
(District Collector)  
Shimla District (H.P.)  
District Collector, Shimla  
Signature  
(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA  
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 08-09-2016. at 4.00 P.M Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, Mehandali claiming rights in Village forest area(s) 0-98-77 hect. under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Rohru were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	
		OR	

As informed by SDO (Civil) Rohru, no application was received from Gram Sabha claiming right in 0-98-77 hect. forest area.

Place: Shimla

Date: 08-09-2016

Deputy District Collector, Shimla District (H.P.)  
Chairman



No.RHU/RDR/2016.....1667.....  
Office of the Sub-Divisional Officer (Civil)  
Rohru, District Shimla Himachal Pradesh

ADM(Cdr)  
SR  
7/9/16

Dated Rohru the 5 September, 2016

To

The Deputy Commissioner  
Shimla

250273  
7/9/16


Subject:-

Proceeding of the meeting of Sub-Divisional Level Committee under Schedule Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Right) Act, 2006 regarding construction of Subzi Mandi Rohru at Mehandali.

Sir,

On the subject cited above it is submitted that meeting of Sub-Divisional Level Committee was called for the construction of Subzi Mandi (APMC Rohru) at Mehandali, Tehsil Rohru, District Shimla H.P. A copy of proceeding and recommendation alongwith others relevant documents are being sent herewith for your kind perusal and further necessary action please.

Yours faithfully



(Y.P.S Verma), H&S

Sub-Divisional Officer (Civil)  
Rohru, District Shimla H.P.

Phone:- 01781-240009

Fax:- 01781-220009

(OFFICE OF THE SDO CIVIL), ----- ROHRU -----  
DISTRICT--- SHIMLA --- (H.P.)

Proceeding of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers ( Recognition of Right( Act (FRA )2006.

Sub-Division

A Meeting of the ~~District~~ level Committee of --- Rohru --- Sub Division, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr/ Ms. Y.P.S. Verma, H.A.S., SDO (Civil)- Rohru on 19-8-2016 at 11.10 AM/PM at Rohru --- (Place) in which the application(s) of the applicant(s) of Bauchhuna --- Gram Sabha, claiming rights 0-98-77 Hect forest area (s) under FRA, 2006 duly processed and recommended by the Bauchhuna --- Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level admitted:-

S.No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1	Gram Sabha Bauchhuna	0-98-77 Hect	C/o Subzi Mandi Rohru
2	Tehsil Rohru		Alme at Mohandali

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S.No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1	<u>No Claims received</u>		
2			

OR

As informed by Bauchhuna Gram Sabha on application was received claiming rights in 0-98-77 Hect forest area

Attended to be a true copy

Place: Rohru  
Date: 19-8-2016

Secretary  
Agricultural Produce Market Committee  
Shimla & Kinnaur  
Rohru, Dist. Shimla (H.P.)

SDO (Civil)-cum-Chairman, Rohru  
Chairperson

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.



## Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा ७-६-११

प्रतिलिपी प्रस्ताव ५

प्रस्ताव संख्या १/१६

दिनांक २५-०७-२०१६

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा ७-६-११ की बैठक आज दिनांक २५-०७-२०१६ को ११ बजे स्थान ७-६-११ में श्री/श्रीमति कृष्ण लाल की अध्यक्षता में की गई जिसमें ७-६-११ (गहे-दली) गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ के अन्तर्गत गहे-दली जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें ७-६-११ (गहे-दली) विभाग द्वारा सज्जी मण्डल के निर्माण के लिए ०-१८-७७ हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क०स० \*पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्यौरा

१  
२

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क०स० \*पात्र गांव वासी का नाम

१  
२

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान  
दिनांक

अधिकार समिति  
राजस्व मौहल बन्धुना  
तह० रोहड़ जिला शिमला हि० प० ग०

प्रधान  
अधीक्षक वन अधिकारकर्ता  
ग्राम पंचायत मौहल बन्धुना  
तह० रोहड़ जिला शिमला हि० प० ग०

\* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

\*\* प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० के अन्तर्गत वन भूमि का उपयोग की अनुमति दी जानी है।

## Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा (ग.स.)  
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 9/16

दिनांक 24-07-2016

ग्राम सभा ब-दना की बैठक आज दिनांक 24-07-2016 को  
11 बजे स्थान ब-दना में श्री श्रीमति कृष्ण लाल की अध्यक्षता में की  
गई जिसमें ब-दना (उभरे-दली) गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत  
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उभरे-दली जंगल / वन  
क्षेत्र में (जिसमें APMC विभाग द्वारा सिकर गरी\* के निर्माण के  
लिए 98-77 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम  
सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की  
गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के  
उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1			
2			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को  
प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल / वन क्षेत्र  
में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान.....  
दिनांक .....

— श्रीमति  
Secretary

अध्यक्ष  
ग्राम सभा  
तहसील रोहड़ जिला शिमला हि० रा०

\* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए  
आवेदन किया है।

\*\* प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग  
की अनुमति दी जानी है।



**Annexture-V**

**अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006**

ग्राम सभा ..... ब-डुना ..... जिला ..... हिमालय ..... (हि0प्र0)  
 विकास खण्ड ..... रोहटु .....

**प्रतिलिपी प्रस्ताव**

गणपूर्ति ..... 11/6 ..... दिनांक 24-07-2016  
 प्रस्ताव संख्या 9/16 .....

विषय: न-डुना ..... विभाग / संस्था को APMC ..... जंगल / वन क्षेत्र  
 के निर्माण हेतु 0-98-77 ..... हैक्टयर वन भूमि के उपयोग  
 में प्रस्तावित ..... की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा ब-डुना ..... की बैठक आज दिनांक ..  
24.7.2016 को 11 बजे, स्थान ब-डुना ..... की गई, जिसमें  
APMC विभाग / संस्था को न-डुना के निर्माण हेतु  
 जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-98-77 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के  
 लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली है तथा प्रस्तावित 0-98-77 हैक्टयर वन भूमि को न-डुना में निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा ब-डुना की सहमति दी जाती है।

स्थान.....  
 दिनांक .....

*Signature*  
 Secretary

*Signature*  
 अध्यक्ष  
 ग्राम सभा  
 न-डुना  
 रोहटु जिला हिमालय



# वन अधिकार समिति राजस्व मौहाल बन्धुना

तहसील रोहडू जिला शिमला हि० प्र०

प्रधान

श्री कृष्ण लाल कामटा

मो० 94180.12774

कोषाध्यक्ष

श्री लाहौरी सिंह

मो० 94590.91818

सचिव

श्री प्रशान्त दत्ता

मो० 96253.05200

सलाहकार

श्री गवान सिंह चौहान

मो० 94189.35387

संख्या 9/2016

दिनांक 24-07-2016

सदस्य

हस्ताक्षर

जयपति कामटा

मो० 97362.16005

जयपति

सूरमा देवी

मो०

सूरमा

राकेश मजटा

मो०

Rakesh

जगदीश थारटा

लोकेश

मो० 98168.94510

Jagdish

निरोता देवी

मो० 78319.09761

Nironta

उमा देवी

मो०

Uma

सोहन सिंह

मो० 94185.79675

Sohan Singh

धर्म सिंह

मो० 88940.79232

Dharm Singh

अनुज लुटा

मो० 78075.00058

Anuj

सुषमा मजटा

मो०

बलबीर सिथटा

मो० 94189.48212

राधा देवी

पार्वती


विनायक

Radha

Pawati

Vinayak

दिनांक 24-07-2016 को वन अधिकार समिति राजस्व मौहाल बन्धुना की बैठक श्री कृष्ण लाल कामटा प्रधान वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें विशेष रूप से यह प्रस्ताव पारित किया गया - सर्वसम्मति से महेन्दली (चक बन्धुना) में सरकार द्वारा चयनित की गई भूमि पर बनने वाली सच्ची मछी के निर्माण में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है और न ही वन अधिकार समिति के पास किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की गई।





सचिव  
वन अधिकार समिति  
राजस्व मौहाल बन्धुना  
तहसील रोहडू जिला शिमला हि० प्र०

